

मध्य प्रदेश शासन  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल 462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2023

क्रमांक 934/596/2021/बत्तीस-तीन-इस विभाग के आदेश क्रमांक 176/596/2021/32-3, दिनांक 12 फरवरी, 2022 द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय का निर्धारण किया गया है।

2/- राज्य शासन एतद द्वारा उक्त आदेश दिनांक 12 फरवरी, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय की राशि रुपये 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) प्रतिमाह के स्थान पर आगामी छः माह हेतु अधिकतम रुपये 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) प्रतिमाह निर्धारित करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

हस्ता -

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग

पृ0क्रमांक 935/596/2021/बत्तीस-तीन

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर टीप जावक क्रमांक 1480/2332/2023/वित्त/नियम/चार, दिनांक 21/09/2023 के संदर्भ में अर्गेषित।
2. अध्यक्ष/सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) मध्य प्रदेश।

.....निरंतर.....2.....